भारत सरकार
पंचायती राज मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या4230
दिनांक 01.04.2026 को उत्तरार्थ

ओडिशा में ग्राम पंचायत विकास योजनाओं का कार्यान्वयन

4230 श्री शुभाशीष खुंटियाः

क्या **पंचायती राज** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या विगत तीन वर्षों के दौरान ग्राम पंचायत विकास योजनाओं (जीपीडीपी) की तैयारी और कार्यान्वयन के लिए वित्त आयोग अनुदान के अंतर्गत ओडिशा को धनराशि जारी की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या पंचायतों द्वारा ऐसी निधि का उपयोग किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या जीपीडीपी आयोजना और निष्पादन को मजबूत करने के लिए क्षमता-निर्माण और तकनीकी सहायता उपाय प्रदान किए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(घ) क्या जीपीडीपी के लिए लेखापरीक्षा और सामाजिक लेखापरीक्षा तंत्र लागू किए गए हैं, यदि हां, तोतत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पंचायती राज मंत्री

(श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह)

(क) और (ख): भारत के संविधान का अनुच्छेद 243 छ पंचायतों को "स्थानीय स्वशासन" संस्थाओं के रूप में मान्यता देता है और उन्हें आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय के लिए योजनाएँ तैयार करने का दायित्व सौंपता है। यह परिकल्पना की गई है कि योजना प्रक्रिया साक्ष्य-आधारित, व्यापक और सहभागी होनी चाहिए, जिसमें संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध 29 विषयों से संबंधित सभी केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के वित्त आयोग अनुदानों और योजनाओं के साथ समन्वय शामिल हो। अतः ग्राम पंचायतों का यह उत्तरदायित्व है कि वे ग्राम सभाओं की स्वीकृति से ग्राम पंचायत विकास योजनाएँ (जीपीडीपी) तैयार करें, जिसमें संबंधित वर्ष के लिए विभिन्न योजनाओं एवं वित्त आयोग अनुदानों के अंतर्गत उपलब्धता/आवंटन को ध्यान में रखा जाए और तदनुसार उन्हें लागू करें। इसलिए, केंद्रीय वित्त आयोग अनुदान ग्राम पंचायतों द्वारा तैयार की गई ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) के आधार पर जारी नहीं किए जाते हैं, बल्कि वित्त मंत्रालय द्वारा जुलाई 2021 में जारी परिचालन संबंधी दिशा-निर्देशों में निर्धारित वर्षवार आवंटन और पात्रता शर्तों की पूर्ति के अनुसार जारी किए जाते हैं। तदनुसार, ओडिशा सहित सभी राज्यों में ग्राम पंचायतों के संबंध में वित्त आयोग अनुदान के जीपीडीपी-वार उपयोग की स्थिति केंद्रीय स्तर पर नहीं रखी जाती है, क्योंकि जीपीडीपी चरण में किसी निधि का उपयोग नहीं होता है; यह केवल योजना बनाने का चरण होता है।

पंद्रहवें वित्त आयोग की अनुशंसा अवधि (अंतरिम तथा अंतिम: 2020-21 से 2025-26) के दौरान, ओडिशा राज्य को ₹11,058.00 करोड़ की कुल आवंटन राशि के सम्मुख ₹10,965.89 करोड़ जारी किए गए हैं। इनमें से, पिछले तीन वर्षों में निम्नलिखित राशि जारी की गई है:

क्रम संख्या	वर्ष	आवंटित राशि	जारी राशि
1	2022-23	1728.00	1728.00

2	2023-24	1747.00	1746.91
3	2024-25	1851.00	1851.00
	कुल	**5326.00**	**5325.91**

(ग): पंचायत, "स्थानीय स्वशासन" होने के नाते, राज्य का विषय है। हालांकि, पंचायती राज मंत्रालय वित्तीय वर्ष 2022-23 से ओडिशा राज्य सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) की केंद्र प्रायोजित योजना को लागू कर रहा है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) की क्षमता का निर्माण करना है, जिसके लिए विशेष रूप से निर्वाचित प्रतिनिधियों (ईआर), पदाधिकारियों और अन्य हितधारकों को प्रशिक्षण प्रदान करके एक शिक्षण पारिस्थितिकी तंत्र तैयार किया जाता है, ताकि उनकी शासन क्षमता विकसित हो सके और वे नेतृत्व की भूमिका निभा सकें, जिससे पंचायतें प्रभावी ढंग से कार्य कर सकें। साथ ही, एक्सपोजर दौरों, प्रशिक्षण मॉड्यूल और सामग्री आदि के विकास के लिए सहायता प्रदान की जाती है।

संशोधित आरजीएसए योजना के तहत, मंत्रालय विभिन्न श्रेणियों में पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों, पदाधिकारियों और अन्य हितधारकों के क्षमता निर्माण और प्रशिक्षणके लिए सहायता प्रदान करता है, जैसे सामान्य अभिविन्यास और पुनश्चर्या प्रशिक्षण, विषयगत प्रशिक्षण, विशेष प्रशिक्षण, पंचायत विकास योजना प्रशिक्षण आदि। क्षमता निर्माण पहलों ने पंचायत प्रतिनिधियों को सहभागी योजना बनाने में, विशेष रूप से ग्राम पंचायत विकास योजनाओं (जीपीडीपी) की तैयारी और कार्यान्वयन में सक्षम बनाया है। योजना की शुरुआत के बाद से, 28.02.2026 तक ओडिशा राज्य में 45,732 प्रतिभागियों सहित कुल 34,79,016 प्रतिभागियों ने पंचायत विकास योजना से संबंधित प्रशिक्षण में भाग लिया है।

(घ): पंचायत खातों और उनके वित्तीय प्रबंधन के ऑनलाइन लेखापरीक्षा को सक्षम बनाने के लिए ऑडिट-ऑनलाइन एप्लिकेशन अप्रैल 2020 में शुरू किया गया था। यह साधन केंद्रीय वित्त आयोग अनुदान के पारदर्शी उपयोग की सुविधा प्रदान करता है और पंचायत स्तर पर वित्तीय निरीक्षण को बढ़ाता है।
